

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्रीराम माईन एकेडमी
पिपरी सैदपुर, हायडा

अम्बेडकरनगर

पत्रांक: /मान्यता/ 15065-न० /2018-19 दिनांक: 23.2.19

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2010 के नियम 15 के
उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27.08.2018 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ
पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं श्री राम माईन एकेडमी
पिपरी सैदपुर, हायडा, अम्बेडकरनगर को तारीख 02.02.2019 से तारीख
01.02.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नवीनी से कक्षा 08
तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकमित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्त्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

E:\manyata 3\order praroop\manyata certificate1.doc

ग्राम
PRINCIPAL

SHRI RAM MODERN ACADEMY
PIPARI-SAIDPUR. AMBEDKAR NAGAR

महापौर
CHAIRMAN

SHRI RAM MODERN ACADEMY,
PIPARI SAIDPUR-AMBEDKAR NAGAR

- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा आधिकारित पाठ्यचयों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।

अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल] रोज़ा ३० घण्टा
कुल निर्मित क्षेत्र क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या ॥

प्राध्यापक सह—कार्यालय—सह भाड़ागार के लिए कक्ष ०२

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेय जल की सुविधा

मिड डे भील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्ण/पुस्तकालय की उपलब्धता

- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कसी लोक न्याय द्वारा चालाया जा रहा है।

- स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।


- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

- आपके विद्यालय को आवंटित पता कोड संख्याकं.....है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका का उल्लेख करें।

- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर निर्देशित दिनांक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।

- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,


(अतुल कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।


पृष्ठा ०३० व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- शिक्षा निदेशक, (बेसिक) निशातगंज लखनऊ।
- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

E:\manyata 3\order praroop\manyata certificate1.doc


PRINCIPAL
SHRI RAM MODERN ACADEMY
PIPARI SAIDPUR-AMBEDKAR NAGAR


CHAIRMAN
SHRI RAM MODERN ACADEMY
PIPARI SAIDPUR-AMBEDKAR NAGAR